

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजरख/ई-ग्रास/2019-20/५३०।४

परिपत्र


जयपुर, दिनांक: 6/3/2020

राज्य में समरत भार वाहनों की कर वसूली का कार्य 15 मार्च, 2020 से पूर्व सुनिश्चित किया जाना है। गोटर वाहन करों की अदायगी में ऑनलाइन इन्टरफेस को बढ़ावा देने तथा अभिलेख का संपूर्ण Digitization सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से माह मार्च, 2020 के दौरान कर संग्रहण कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. कर संग्रहण राशि केवल निम्न तीन माध्यमों से जमा की जा सकेगी:-

- i) ई-ग्रास के माध्यम से ई-वैकिंग द्वारा
 - ii) ई-ग्रास के माध्यम से राशि जमा कराने हेतु चालान विभाग के अधिकृत काउन्टर्स पर तैयार कर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि वाहन रवानी/जमाकर्ता द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में जाकर कर जमा कराया जा सके।
 - iii) वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए काउन्टर पर रु. 5000 से अधिक राशि का कर भी जमा कराया जा सकेगा।
- * किसी भी स्थिति में कर संग्रहण हस्तलिखित (मैन्युअल) नहीं लिया जावेगा।
2. यह व्यवस्था राज्य में कर संग्रहण वास्ते अमल में लायी जा रही है अतः करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अत्यंत आवश्यक है इस हेतु निम्न कार्यवाही प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।
- i) प्रादेशिक/जिला परिवहन/उप परिवहन कार्यालय आवश्यकतानुसार ऑफिस में अथवा ऑफिस से बाहर अतिरिक्त काउन्टर लगाकर कर संग्रहण को तेजी प्रदान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो इंटरनेट के लिए डॉनाल इत्यादि डिवाइस प्रयोग में लेंगे परंतु offline कर जमा नहीं किया जावेगा।
 - ii) कार्यालय परिसरों में (उप परिवहन कार्यालय सहित) सहज दृश्य स्थान पर एक 8'*4' फीट का पूर्वानुसार बैनर लगायेंगे जो की सभी कार्यालयों में एक समान तरह का होगा। अन्य प्रमुख स्थलों यथा कर संग्रह केन्द्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं टोल टैक्स प्लाजा पर भी आवश्यकतानुसार बैनर लगाये जावें। लगाये गए बैनर का फोटोग्राफ मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
 - iii) प्रादेशिक/जिला /उप परिवहन कार्यालय नकद संग्रहण राशि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संग्रहित राशि को अविलंब नियमान्तर्गत राजकोष में जमा करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करेंगे।
 - iv) मोटर वाहन उपनिरीक्षक/निरीक्षक को जिले में आवंटित कार्यक्षेत्र समर्त ट्रकों/वाहनों का कर निर्धारित समयावधि में उपरोक्त प्रणाली के अनुसार जमा करवाने का दायित्व होगा।
 - v) करदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इस आशय के समाचार को प्रमुखता से सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय प्रकाशनों में निरंतर रूप से छपवायें।
 - vi) माह मार्च, 2020 में सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी कार्यालय तथा लगाये गए काउन्टर्स दिन भर खुले रहेंगे। राजकीय अवकाश दिनों में केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जावेगा।

- 3 i) उक्त परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अब परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के स्तर पर कोई कर संग्रहण नहीं किया जावेगा। परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा मुख्य मार्गों पर सघन प्रवर्तन कार्यवाही की जावेगी ताकि करवंचना की संभावना नगण्य हो सके।
- ii) उक्त व्यवस्था का प्रभावी पर्यवेक्षण संपर्क पोर्टल से संबंधित क्षेत्रवार मुख्यालय प्रभारी नियुक्त एल-3 अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। उक्त व्यवस्था की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश वित्त विभाग की आई डी क्रमांक 262000041 दिनांक 06.03.2020 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


 (रवि जैन)
 शासन सचिव एवं
 परिवहन आयुक्त

१५६

भौमि

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2019-20/ ५३०१५-१९

जयपुर, दिनांक: ६१३।२८।२१

प्रतिलिपि:- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, जयपुर।
2. निजी सहायक, आपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)।
3. मुख्यालय के समरत अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावें।

(आदित्य कुमार पारीक)
वित्तीय सलाहकार